

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक 72/3030-गवन/जोन-2/शगन/2013-14 दिनांक 26/12/2013

विनियमितीकरण

एक विनियमितीकरण उ.प्र. नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 22 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अंग्रेजी में समझाना बाह्य कि इस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर शगन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इलाका स्तरीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के नसिकाता अधिकारों पर किसी का कोई असर नहीं। अर्थात् यह अनुमति किसी के विनियमन या स्थिति के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।



श्री प्रेम नाथ पाठक, श्री कामेश्वर नाथ पाठक, श्री रामेश्वर नाथ पाठक पुत्रगण चन्द्रकेश्वर नाथ पाठक, श्री राजकुमार पाठक पुत्र स्व. प्राण नाथ पाठक द्वारा 118 दिवेकानन्द मार्ग, इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत वाइडर विनियमितीकरण मानचित्र की स्वीकृति उपरोक्त उद्देश्य के अनुमोदन हेतु दिनांक 07.12.2013 के द्वारा निम्नलिखित शर्तियों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुसृत्य पूर्णता प्राप्ति प्राप्त होने के पश्चात् ही उपरोक्त/उपयोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2005 में उपरोक्ति संख्या 2.1.8 एवं 3.1.0 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण रूप पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तित (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्माण किये जाने वाले 'पूर्णता प्राप्ति-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल का अधिनियम/उपयोग स्वीकृति प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
4. प्रस्ताव संख्या 45 दिनांक 15.12.2013 में दिये गये शर्तों के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निर्धारित शर्तों/शर्तों के अन्तर्गत अशामनीय भाग को पारित कराकर प्राधिकरण को अग्रगत करना होगा।
5. दायर की संख्या-409 सं. 1993 में मुस्फ (बिस्) इलाहाबाद के न्यायालय में विद्यमान भवन स्वीकृति मानचित्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर मास लिये जाने हेतु सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन कर प्राधिकरण को अग्रगत करना होगा।
6. माननीय न्यायालय में कोई गार होना अथवा उपरान्त होने के विषय में उदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्थिति सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वीकृति निरस्त समझा जायेगा।
7. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना विधायी गयी है अथवा मूलतः सूचना दी गयी है तो उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने बाध्य होगा।
8. भवन निर्माण से यदि किसी के रुद्ध की गयी अथवा रुद्ध या नली के किसी भाग (जो मजान के अंग भाग, पूरक भाग अथवा उसके आकार के कारण रुद्ध हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कर तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्णतः अथवा जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो सके, में कर देगा।
9. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1957 (इंफिडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1957) नियम 82 का सम्बन्धन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण को जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटाना सकता है।
10. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मजान भी नीव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मजान उ.बाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मजान निर्मित हुआ है।
11. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का सम्बन्धन होता पाया गया तो निम्नोक्तियों को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

प्रतिक्रिया
कामेश्वर नाथ पाठक
26-12-2013

(को.प्र. वि.प्र.)
उपरोक्त अधिकारी (उ.प्र.)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

11/10/2013
12/06/2013



एक लॉन्ड्री/मिनिमल कचराघर ही पूर्णतः प्रकल्प
अन्तर्गत ७५ चर की ३२५ मीटर की लंबाई का
सुपरमार्कट बनाया जा रहा है।

कंसल्टिंग/आर्किटेक्चर/इंजीनियरिंग
संस्था का नाम
संस्था का पता

Dr. P. K. Pathak
मुख्य अर्थी/सिद्धांत/आर्किटेक्चर
२०१३/१३


सहायक अर्थी/सिद्धांत/आर्किटेक्चर
संस्था का नाम
संस्था का पता

Dr. P. K. Pathak
मुख्य अर्थी/सिद्धांत/आर्किटेक्चर
२०१३/१३

GROUND PLAN


TERRACE PLAN

SECTION AT A-B



NOTE:

- 1- TOTAL AREA = 2550^{sq} ft. 230.79^{sq} m
- 2- LAND ACFT AREA = 22.5^{ac} 91.3^{ha}
- 3- COMPOUND AREA = 915^{sq} ft. 85^{sq} m
- 4- OPEN AREA = 720^{sq} ft. 66^{sq} m
- 5- COMPOUND WORK SHOWN IN YELLOW
- 6- ALSO UNDER CONSTRUCTION SHOWN IN GREEN



KEY PLAN

ELEVATION

SITE PLAN

COMPOUND BUILDING PLAN OF HOUSE
NO. 116 AT HEWET ROAD, ALLAHABAD.

SCALE: 8-1"

- OWNER:-
- 1- SRI PRAN NATH PATHAK
 - 2- SRI PREM NATH PATHAK
 - 3- SRI KAMESHWAR NATH PATHAK
 - 4- SRI RAMESHWAR NATH PATHAK

SIC OF OWNER
1. श्री प्रान नथ पथक
2. श्री प्रेम नथ पथक
3. श्री केशव नथ पथक
4. श्री रमेश्वर नथ पथक

SIC OF DESIGNER

DR. P. K. PATHAK
ARCHITECTURE ASSOCIATION
All India Institute of Architects
Member since 1950
Member since 1950
Member since 1950
Member since 1950